236/17 फेरा V/S घमड़ा पगेरा

05.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत आडेल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र आडेल)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.236/2017

प्रार्थीगण

भेरा पुत्र मोती जाति जाट निवासी भांभुओ की बेरी (आडेल) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.घमंडा पुत्र रामा
2.दीपा पुत्र रामा
3.गुणेशा पुत्र रामा
4.जूंजाराम पुत्र कलाराम
5.राऊराम पुत्र कलाराम (नाबालिग की वली माता मूली पत्नि कलाराम)
6.मूला पुत्र टीकमा
7.श्रीराम पुत्र नीम्बा
8.खरथा पुत्र भारथा उर्फ बागा
9.मूला पुत्र अचला
10.चुतरा पुत्र टीकमा
11.लिखमा पुत्र टीकमा
12.खेता पुत्र लाला
13.पूनमा पुत्र लाला
14.अमरा पुत्र लाला
15.अणसी पत्नि लाला
16.केसरा पुत्र टीकमा जाति जाट निवासी भांभुओं की बेरी (आडेल) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।
17.जोगा पुत्र दुर्गा
18.देवा पुत्र दुर्गा
19.गोमद पुत्र दुर्गा
20.कानु पत्नि दुर्गा
21.पुरखा पुत्र चैना
22.आसु पुत्र चैना
23.भीखा पुत्र चैना जाति मेगवाल निवासी रामदेवपुरा (आडेल) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।
24.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

जस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 23 एकरतफा।

3.विप्रार्थी स.24 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक–05.5.18

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 522 व 524 कुल रकबा 55 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 522 व 524 कुल रकबा 55 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 522 व 524 कुल रकबा 55 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 522 व 524 कुल रकबा 55 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 522 व 524 कुल रकबा 55–00 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2069 से 2072 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. **लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 522 व 524 कुल रकबा 55–00 बीधा** भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner